न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 72 / 21

GCMS id : 2021 /113

1. ईश्वर गुर्जर पुत्र हरजी गुर्जर, जाति गुर्जर निवासी ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

– (प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री विद्याशंकर गोस्वामी, प्रार्थी अभिभाषक
श्री शंभूदयाल विजय, अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.04.2026

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र (212 RTA) में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम दौलतगंज, तहसील लाड़पुरा मे खसरा नम्बर 182 रकबा 2.97 हैक्टर आराजी स्थित है, जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से संवत् 2035 से आज तक लगातार कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि रेवेन्यू रिकोर्ड से होती है।
- विवादित आराजियात प्रारंभ से ही राजस्व सिवायचक भूमि थी, जिसकी भी पुष्टि राजस्व अभिलेख से होती है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, वह विवादित भूमि में अपने मवेशियों गाय, भैंस आदि का चारा पैदा करके तथा दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है, उक्त आराजियात की सुरक्षा हेतु उसने चारों तरफ पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बना रखी
- विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा वादी को लम्बे से पूर्व से ही धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट, 1956 के तहत नोटिस दिये गये और तावान भी वसूला गया एवं धारा 91 के तहत वादी के विरुद्ध अतिक्रमी मानते हुए जुर्माना भी किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.1992 अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट में जुर्माना से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, कोटा के समक्ष धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 09.03.1992 से खारिज कर दिया गया तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 आरएलआर एक्ट के राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की गई, जिसमें द्वितीय अपीलान्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 20.09.1993 को अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित भूमि उसकी पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की गई थी। तदुपरान्त विवादित भूमि को धारा 92 आरएलआर एक्ट के तहत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ही आबादी में आ जाने से सेट–अपार्ट करते हुए अप्रार्थी क्रम–2 के खाते दर्ज कर दी गई, जो कि एक कानूनी बिन्दु है, किन्तु उसके बाद भी आज तक निरन्तर एवं अबाध रूप से विवादित भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है।
- विवादित भूमि पर आज भी प्रार्थी अपने जानवरों के लिये घांस व चारा पैदा करता है तथा उसके पास उक्त भूमि के अलावा जानवरों की सुरक्षार्थ व चारा पैदा करने के लिये अन्य कहीं भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अनुसार कई बार अप्रार्थी क्रम–1 को विवादित आराजियात को खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश में की गई नियमन की सिफारिश का भी बोध करवाया गया, किन्तु उसके बावजूद आज तक प्रार्थी के पक्ष में नियमन नहीं किया गया है।
- अप्रार्थी क्रम–2 अवैधानिक तरीके से प्रार्थी को विवादित भूमि से जबरन ताकत के बल पर मौके पर पुलिस फोर्स ले जाकर उसकी दीवार को तोड़ फोड़ कर उसे बेदखल करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी क्रम–2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी क्रम–2

30/4/26

द्वारा ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थी को अवैधानिक तरीके से विवादित भूमि से बेदखल कर व उसकी बाउण्ड्री को तोड़ फोड़ कर दिया गया तो उसे काफी आर्थिक क्षति होगी, क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी से खाल खदड़ के रूप में थी, जिसे उसने काफी रूपया पैसा कर समतल करवाया तभी से वह सुरक्षार्थ बाउण्ड्रीवाल बनाकर जानवरों का चारा पैदा करता चला आ रहा है।

- प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है, यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने की कृपा करे कि अप्रार्थी क्रम–1 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजियात से अवैधानिक तरीके से बेदखल नही करे और उसके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे मदाखलत एवं जजामहत नहीं करे, उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें, एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझे वह भी अप्रार्थी से प्रार्थी को दिलाई जावे।

3- अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न निवेदन किया गया, जो संक्षेप मे निम्नानुसार है–

- प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, विवादित भूमि आबादी मे दर्ज है, इस कारण राजस्व न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, प्रार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी है, इस कारण एक अतिक्रमी को वैधानिक मालिक के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण एडवर्स पजेशन प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वैसे भी एड़वर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण निरस्त फरमाया जावे।

4- प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये अपनी बहस मे निवेदन किया गया जो संक्षेप मे इस प्रकार है–

- ग्राम दौलतगंज, तहसील लाड़पुरा मे खसरा नम्बर 182 रकबा 2.97 हैक्टर आराजी स्थित है, जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से संवत् 2035 से आज तक लगातार कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि रेवेन्यू रिकोर्ड से होती है।
- विवादित आराजियात प्रारंभ से ही राजस्व निवायचक भूमि थी, जिसकी भी पुष्टि राजस्व अभिलेख से होती है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है वह विवादित भूमि में अपने मवेशियों गाय, भैंस आदि का चारा पैदा करके तथा दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है, उक्त आराजियात की सुरक्षा हेतु उसने चारों तरफ पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है।
- विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा वादी को लम्बे से पूर्व से ही धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट, 1956 के तहत नोटिस दिये गये और तावान भी वसूला गया एवं धारा 91 के तहत वादी के विरुद्ध अतिक्रमी मानते हुए जुर्माना भी किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.1992 अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट में जुर्माना से दंडित किया था, जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, कोटा के समक्ष धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 09.03.1992 से खारिज कर दिया गया तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 आरएलआर एक्ट के राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की गई, जिसमें द्वितीय अपीलान्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 20.09.1993 को अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित भूमि उसकी पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की गई थी। तदुपरान्त विवादित भूमि को धारा 92 आरएलआर एक्ट के तहत श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ही आबादी में आ जाने से सेट–अपार्ट करते हुए अप्रार्थी क्रम–2 के खाते दर्ज कर दी गई, जो कि एक कानूनी बिन्दु है, किन्तु उसके बाद भी आज तक निरन्तर एवं अबाध रूप से विवादित भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है।
- विवादित भूमि पर आज भी प्रार्थी अपने जानवरों के लिये घांस व चारा पैदा करता है तथा उसके पास उक्त भूमि के अलावा जानवरों की सुरक्षार्थ व चारा पैदा करने के लिये अन्य कहीं भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अनुसार कई बार अप्रार्थी क्रम–1 को विवादित आराजियात को खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश में की गई नियमन की सिफारिश का भी बोध करवाया गया, किन्तु उसके बावजूद आज तक प्रार्थी के पक्ष में नियमन नहीं किया गया है।
- अप्रार्थी क्रम–2 अवैधानिक तरीके से प्रार्थी को विवादित भूमि से जबरन ताकत के बल पर मौके पर पुलिस फोर्स ले जाकर उसकी दीवार को तोड़ फोड़ कर उसे बेदखल करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी क्रम–2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी क्रम–2

द्वारा ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थी को अवैधानिक तरीके से विवादित भूमि से बेदखल कर व उसकी बाउण्ड्री को तोड़ फोड़ कर दिया गया तो उसे काफी आर्थिक क्षति होगी, क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी से खाल खड्ड के रूप में थी, जिसे उसने काफी रूपया पैसा कर समतल करवाया तभी से वह सुरक्षार्थ बाउण्ड्रीवाल बनाकर जानवरों का चारा पैदा करता चला आ रहा है।

- प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है, यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने की कृपा करे कि अप्रार्थी क्रम–1 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजियात से अवैधानिक तरीके से बेदखल नही करे और उसके शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे मदाखलत एवं जजामहत नहीं करे, उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें, एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझे वह भी अप्रार्थी से प्रार्थी को दिलाई जावे।

अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रा0 पत्र के कथनों को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया कि–

- प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, विवादित भूमि आबादी मे दर्ज है, इस कारण राजस्व न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, प्रार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी है, इस कारण एक अतिक्रमी को वैधानिक मालिक के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण एडवर्स पजेशन प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वैसे भी एड़वर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण निरस्त फरमाया जावे।

5- हमने अभिभाषक की बहस के कथनों पर मनन किया और नियमों, अधिनियमों, परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि–

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है। इनमे से किसी एक का भी आभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण मे हम पाते है कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के मूल वाद मे तनकीयात एवं साक्ष्य के उपरांत मूल वाद मे तय किया जाना है। अतः यह मामला पृथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव तहसील लाड़पुरा खसरा 182 रकबा 2.97 हैक्टर आराजी को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, परंतु उक्त आराजी वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम–2, कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज रिकोर्ड है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय

क्षति होगा।

प्रार्थी ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव तहसील लाड़पुरा खसरा 182 रकबा 2.97 हैक्टर आराजी को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, परंतु उक्त आराजी वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम–2, कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज रिकोर्ड है। अतः प्रार्थी अपूरणीय क्षति होना संभावित नही है।

6- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि–राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत्–2077 के अनुसार ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव खसरा नम्बर 182 रकबा 1.72 अप्रार्थी–2 के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के मूल वाद मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की घोषणा चाही गई है, जो कि साक्ष्य एवं तनकीयात के तय किये जाने के उपरांत मूल वाद का निस्तारण किया जाना है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र 212 अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30 अप्रेल 2026 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/26

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा